न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या - 07/2021
दायरा दिनांक - 17.02.2021
निर्णय दिनांक - 29/3/21

उनवान

1. दयाराम पुत्र फत्ताराम जाति गुर्जर निवासी खटोटी तहसील बानसूर जिला अलवर

-- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी - श्री धर्मपाल चौधरी एड.
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2385 रकबा 0.38 हैक्ट., खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.38 हैक्ट., वाके मौजा बाबरिया जो दौराने बन्दोबस्त संख्या 2060 में साबिक खसरा नम्बर 2023 रकबा 3 बीघा वाके मौजा बाबरिया तहसील बानसूर से बने है, में प्रार्थी के पिता का नाम फत्ताराम के बजाय पतराम गलत दर्ज कर दिया। जबकि जमाबन्दी संवत 2056-59 के खाता संख्या 79 के अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम दयाराम पुत्र फत्ताराम दर्ज करना चाहिये था। उक्त गलत नाम की पुर्नावति आज दिन राजस्व रिकार्ड में होती चली आ रही है जिसके कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो का हनन हो रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्व किया जावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि साबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

पिता का नाम शुद्व करते समय राजकीय हित को ध्यान में रखते हुए विधि संगत आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। हाल आराजी खसरा नम्बर 2385 रकबा 0.38 हैक्ट., खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.38 हैक्ट., वाके मौजा बाबरिया तहसील बानसुर जो कि साबिक खसरा नम्बर 2023 रकबा 3 बीघा से बन्दोबस्त संवत 2060 के बन्दोबस्त के दौरान बने है। साबिक रिकार्ड जमाबंदी संवत 2056-57 में प्रार्थी के पिता का नाम फत्ताराम ही दर्ज है परन्तु बन्दोबस्त संवत 2060 के दौरान प्रार्थी के पिता का नाम फत्ताराम की जगह पतराम गलत दर्ज कर दिया जो कि न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर हाल आराजी खसरा नम्बर 2385 रकबा 0.38 हैक्ट., खसरा नम्बर 2410 रकबा 0.38 हैक्ट., वाके मौजा बाबरिया तहसील बानसूर में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम पतराम के स्थान पर फत्ताराम शुद्व कर दयाराम पुत्र फत्ताराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर

आज दिनांक 25/3/21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner